संख्या– 101 /21–4–2013–3(21)/2009

प्रेषक,

डी0एस0श्रीवास्तव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान,
लखनऊ।

भाषा अनुभाग–4 लखनऊ:दिनांक: 31 मई, 2013

विषय:–**उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में 12 पदों को पुनर्जीवित किये जाने की मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा तथा उससे सम्बन्धित आपके पत्र संख्या–40/हि0सं0/प्रशा0/2009 दिनांक 18 जुलाई, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में शासनादेश संख्या–352/21–4–09–3(21)/2009 दिनांक 24 जून, 2009 के प्रस्तर–8 के कम में समाप्त कुल 12 पदों को सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है। मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पुनर्जीवित 12 पदों में से चतुर्थ श्रेणी के पदों को शासनादेश संख्या–511/इक्कीस–4–2011–3(21)/2009 दिनांक 12 अप्रैल, 2012 में उद्धृत व्यवस्था के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जायेगा। कृपया उपर्युक्त से अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या– /21–4–2013–3(21)/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ.प्र. इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0इलाहाबाद
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ
(3) वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–7
(4) वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–2
(5) वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
(6) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, सचिवालय
(7) गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनुसचिव (भाषा)।